

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO.614 OF 2022

IN THE MATTER OF:

Rasesh B. Vissanji&Ors.....Applicants

Versus

State of Uttarakhand&Ors.... Respondents

**RESPONSE BY WAY OF AFFIDAVIT ON BEHALF OF PUBLIC WORKS
DEPARTMENT, UTTARAKHAND, IN COMPLIANCE OF DIRECTIONS
PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL VIDE ITS
ORDER DATED 01.02.2024.**

P A P E R - B O O K

I N D E X

<u>Srl</u>	<u>Particulars</u>	<u>Pages</u>
1.	Response by way of Affidavit on behalf of Public Works Department, Uttarakhand, in compliance of directions passed by the Hon'ble National Green Tribunal vide its order dated 01.02.2024.	
2.	<u>ANNEXURE R-1</u> : A true copy of the order dated 04.03.2022 passed by the Leaned Civil Judge, Junior Division, Almora, Uttarakhand	
3.	<u>ANNEXURE R-2</u> : Copy of letter dt.22.10.2021	
4.	<u>ANNEXURE R-3</u> : Copy of letter dated 06.12.2021	
5.	<u>ANNEXURE R-4</u> : Copy of dated 27.11.2021	
6.	<u>ANNEXURE R-5</u> : Copy of dated 25.01.2023	
7.	<u>ANNEXURE R-6</u> : Copy of letter dated 23.03.2023	

Filed by:

Rahul-Verma

[RAHUL VERMA]

Additional Advocate General for State of Uttarakhand /
Respondent s

137, Tower No.10, Supreme Enclave,
MayurVihar Phase-I, Delhi-110091


Mobile No. 9717706032

Email- advrahulverma9999@gmail.com

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 614 OF 2022

IN THE MATTER OF:
Rasesh B. Vissanji&Ors.....Applicants
Versus
State of Uttarakhand&Ors.... Respondents

RESPONSE BY WAY OF AFFIDAVIT ON BEHALF OF PUBLIC
WORKS DEPARTMENT, UTTARAKHAND, IN COMPLIANCE
OF DIRECTIONS PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL
GREEN TRIBUNAL VIDE ITS ORDER DATED 01.02.2024.



I, VIBHOR GUPTA S/o Shri RAMESH KUMAR GUPTA aged about 34 years, presently posted as Executive Engineer , Construction division Public Works Department, Almora, Uttarakhand, do hereby solemnly affirm on oath and state as under:

1. That in my above mentioned official capacity, I am acquainted with the facts and circumstances of the present matter, and I am fully competent to file present Response by way of Affidavit on behalf of Public Works Department.



[Handwritten signature]

2. That the above mentioned matter was listed on 23.09.2022 before this Hon'ble Tribunal, after hearing, this Hon'ble Tribunal was pleased to pass the following order:-

"1. Mr. Rasesh B Vissanji & Others have sent by post the present letter petition, which has been treated and registered as Original Application, complaining about Illegal cutting of trees by using JCB for construction of proposed 6 Kms of Chitai Manjoli Petshal National Highway. It is also submitted that the construction material (muck) has been disposed of illegally on fertile agricultural land of poor farmers damaging the crops.

*2. This Tribunal is empowered to suomoto take cognizance of the cases involving questions relating to environment arising out of the implementation of enactments specified in Schedule I of the National Green Tribunal Act, 2010 as held by Hon'ble Supreme Court in **Municipal Corporation of Greater Mumbai V/s. Ankita Sinha and others 2021 SSC Online SC 897**. This Tribunal can also take cognizance of such cases on the basis of letter petitions in accordance with settled principles of law governing Public Interest Litigation.*

3. Prima facie, the allegations made in the application


Rajiv



raise questions relating to environment arising out of the implementation of the enactments specified in Schedule I to the National Green Tribunal Act, 2010. In view of the allegations made in the application, we consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of representatives of State PCB, Executive Engineer, PWD, Almora, DFO and District Magistrate, Almora and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representatives of the concerned project proponents, verify the factual position and submit its report within one month by e-mail at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

4. In case the Joint Committee observes any violation of consent conditions/environmental norms, then it shall forward a copy of its report to:-

(i) The concerned Project Proponents to enable them to comply with the recommendations in the report of the Joint Committee or file objections against the observations/recommendations contained in the same and file their response before this Tribunal as desired within one




month from the date of receipt of a copy of the report of the Joint Committee by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF; and

(ii) The concerned Statutory Authorities including State PCB and District Magistrate, Almora to enable them to take appropriate remedial action, in accordance with Statutory provisions mandating them to take remedial action for prevention, control and abatement of environmental pollution/degradation and for protection and improvement of environment, by giving notice to/hearing the concerned project proponents and following due process of law and they shall submit their action taken reports separately within one month from the date of receipt of a copy of the report of the Joint Committee by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

5. List for further consideration on 06.01.2023”

3. That in compliance of the directions passed by this Hon'ble Tribunal on dated 23.09,2022, the Joint Committee visited the proposed site on 09.11.2022. Following officials were part of the Joint Committee:

- (i) Shri Mohan Ram Arya, Range Officer, Almora Range,


- Almora - a representative of Divisional Forest Officer, Almora Forest Division, Almora.
- (ii) Ms Khushbu Pandey, Tehsildar, Tehsil Someshwar, District Almora - a representative of District Magistrate, Almora.
- (iii) Dr. D.K. Joshi, Regional Officer, UKPCB, Regional Office, Haldwani (Nainital).
- (iv) Er. Ashutosh Kumar, Executive Engineer, NirmanKhand, Public Works Department, Almora.

It is relevant to mention herein that the report of joint committee is already on record.

It is relevant to mention herein that the applicant Shri Rasesh B Vissanji was informed about the inspection, but he was not present at the time of inspection, as the applicant sent the letter petition with his ulterior motive to harass the villagers and never came to this Hon'ble Tribunal, after filing the same.


4. That the abovementioned road is being constructed on the request of the local villagers and after filing of the present original application, the applicant never came to this Hon'ble Tribunal, which shows the ulterior motive of the applicant to

Eguf



harass the villagers, as the applicant herein purchased the land in the area in question and constructed the house also and there is approachable road available till the house of applicant herein.


5. It is pertinent to mention herein that applicant herein namely Rasesh B. Vissanji also filed a Civil Suit Case No. 11/2021 in the Court of Civil Judge, Junior Division, Almora against the State of Uttarakhand through District Magistrate, Almora and Executive Engineer, Construction Division, Public Works Department, Almora pertaining to construction of the road in question and the same has been disposed off on 04.03.2022 by the Court of Leaned Civil Judge, Junior Division, Almora, Uttarakhand, as the same was not pressed by the applicant herein. A true copy of the said order dated 04.03.2022 is annexed hereto and marked as ANNEXURE R-1.
6. That the brief facts of the present matter are as follows that as per observation of the Joint Committee, on the demand of local villagers and in view of sharp curves/ accident prone area at Kalidhar near Chitai, alternative /link road of 8 Km. length from Chatai Pant Tiraha to Petshal (District Almora) was proposed as



Eguff

a part of Almora - Ghat National Highway No. 309 (B).

7. That the Government of Uttarakhand has accorded administrative and financial approval of Rs. 200.16 Lakh for construction of said alternative road of 8.0 Km. vide letter no. 572III(2)/06-08 (Pra. A)06 dated 28.03.2006. However, presently construction of only 3.00 Km long road is being proposed as per revised technical sanction vide letter no. 8163/204C-01/2020 Date 16.12.2021.
8. That the integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Dehradun vide its letter no. 8B/U.C.P./06/125/2015/F.C./1765 dated 17.11.2020 has accorded in-principal approval of non-forest uses of 2.43875 hectare land to PWD for construction of motor road from Chatai to Hari Dutt Petsali Inter College.
9. That the revised alignment of said motor road was approved by the Superintendent Engineer, PWD, Almora vide its letter no. 7624/204 C-First/2021 dated 22.10.2021 of 5.65 Km.
10. That the villagers of the area has also given consent for use of private land for construction of said proposed motor road.




[Handwritten Signature]

11. That the Construction Division, PWD, Almora has deposited an amount of Rs. 32,47,715.00 towards NPV and compensatory forestry cost to the Forest Department on dated 16.03.2021 . Cutting of trees is being carried out by the Uttarakhand Forest Corporation Ltd.
12. That the Construction Division, PWD, Almora has allotted the contract of said road construction work to Shri Shivraj Singh Banola after following due processes.
13. That as per the joint inspection report of committee that visited site on 09.11.2022, road cutting work is being carried out by contractor as per contract agreement. The contractor has started the road cutting work before tree cutting work, which is to be done by Uttarakhand Forest Corporation Ltd., however, all the trees are kept there only no harm had be done to environment. Muck dump area has been developed with gabian wall and retaining walls in private land with consent of land holders.
14. That the Committee also observed that change in alignment was in non forest area and there was no illegal falling /cutting .



15. That the Joint Inspection Report along with its annexures is already part of the record of this Hon'ble Tribunal.
16. It is respectfully submitted that due to court case filed by the applicant herein, with regard to earlier alignment, the Sub Divisional Magistrate, Sadar Almora vide its letter no.1057 dated 1.7.2021 fixed the date 5.7.2021 for joint inspection with regard to construction of the road, in continuation of the instructions of the Sub Divisional Magistrate, Sadar, Almora, Tehsildar Almora sent the report of joint inspection vide their letter dated 9.7.2021 to the Sub Divisional Magistrate, Sadar Almora, thereafter Sub Divisional Magistrate, Sadar, Almora vide their letter dated 22.7.2021 sent the joint inspection report for necessary action according to rules. The consent was given for minor change in alignment on 16.8.2021 by Gram Pradhan Chitai Tiwari in the presence of representative of the revenue department.
17. That the above said revised alignment of said motor road was approved by the Superintendent Engineer, (First) PWD, Almora vide its letter no. 7624/204 C-First/2021 dated 22.10.2021 of length 5.65 Km. Copy of the said letter is already part of the



Eguff

record of this Hon'ble Tribunal and is again annexed hereto and marked as ANNEXURE R- 2.

18. That the Superintendent Engineer, (First) PWD, Almora vide its letter no. 8163/204 C-01/21-22 dated 06.12.2021 accorded the revised technical approval for length of road 3.00 kilometer and cost of Rs.200.16 Lakhs. Copy said letter is already part of the record of this Hon'ble Tribunal and again is annexed hereto and marked as ANNEXURE R- 3.

19. That the office Superintendent Engineer, (First) PWD, Almorainvited the tender for the abovesaid purpose vide its letter no. 8265/Nivida-01/21 dated 27.11.2021. Copy of the said letter is already part of the record of this Hon'ble Tribunal and is again annexed hereto and marked as ANNEXURE R- 4.

20. That the Contract No.01/S.E./01/22 dated 07.05.2022 was prepared for the abovesaid purpose to ShriShivraj Singh Banaula, Almora.

21. It is pertinent to mention herein that due to increase in the prices of the articles, the construction of abovesaid road is being done for the length of 3.00 kilometer against the length of 8.00

[Handwritten signature]



kilometers.

22. That the Public Works Department sent the online proposal for final / vidhiwat approval vide its letter No.3414/3C. V. Bhu. Dated 07.11.2022 to the Divisional Forest Officer, Almora as per conditions contained in the in-principal approval granted by Government of India.
23. That the Regional Office (North-Central Region), Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Government of India, Dehradun vide its letter no. 8B/U.C.P./06/125/2015/ F.C./1449 dated 25.01.2023 has suspended in-principal approval with immediate effect and had written for clarification on three points. Copy of the same is already part of the record of this Hon'ble Tribunal is again annexed hereto and marked as ANNEXURE R-5.
24. That it is relevant to mention herein that the office of Executive Engineer, P.W.D. Almora vide its letter No. 978/3C (Court Case) Dated 23.03.2023 had sent the report on the three points as desired by the Regional Office Ministry of Environment, Forest & Climate Changes, Government of India,



[Handwritten Signature]

and had sent to the same to the Divisional Forest Officer, Almora, the abovesaid Report has been sent by the Additional Principal Chief Conservator of Forest / Nodal Officer, Uttarakhand Dehradun vide its letter No.2374/FP/UK/ROAD/9220/2015 Dehradun dated 15.04.2023 to the Additional Principal Conservator of Forest, MoEF& CC, Government of India for further proceedings/ action. Copy of the same is already part of the record of this Hon'ble Tribunal is again annexed hereto and marked as ANNEXURE R-6.

25. That the work is stopped due to the suspension of in-principal approval as already mentioned above.

26. That the villagers are continuously demanding for construction of proposed road, and villagers had submitted the affidavit bearing signature of many villagers in support of construction of proposed road, as the present road in question is in larger public interest and for welfare of public. Copy of the letter dated 23.2.2023 alongwith affidavit dated 21.2.2023 signed by the villagers are already part of the record of this Hon'ble Tribunal at page Nos. 69 to 71.




[Handwritten Signature]

27. That the matter was listed on 21.11.2023, after hearing, this Hon'ble Tribunal was pleased to direct to have a joint meeting, to be done on 5.12.2023 in the office of Regional Officer, Integrated Regional Office MoEF&CC, Dehradun under the Chairmanship of Regional Officer, and in compliance of the directions passed by this Hon'ble Tribunal, the abovesaid meeting was held on 5.12.2023 and in the said meeting, the Government of India desired the report on four points.

28. That in compliance of the directions passed by this Hon'ble Tribunal vide its order dated 21.11.2023, the Assistant Inspector General, Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Regional Office, Dehradun filed Status Report-cum-Minutes of the meeting dated 5.12.2023 and the same is part of the record of this Hon'ble Tribunal (Page Nos. 209 to 213).

29. It is relevant to mention herein that the Divisional Forest Officer, Almora vide its letter No.3179/12-1 (2) Almora dated 10.1.2024 sent its report to the Additional Principal Chief Conservator Officer and Nodal Officer, Uttarakhand Dehradun on the following 04 points, the same are as follows:-




1.	The Details violation report in proposal.	In the spot inspection, Divisional Forest Officer, Almora, enquired with the project proponent including revenue department and contractor, in which it was informed that during the construction work of the road, the cutting work of road was done by J.C.B. without permission of the Public Works Department, and therefore, the Case No.42 of 2023-24 was lodged under Section 33 of Forest Conservation Act, against the operator and the fine of Rs.1,05,000/- (Rupees one lakhs five thousand) was imposed and the same was
----	---	--




[Handwritten Signature]

		recovered.
2	The name of the official/ authority responsible for the violation.	The Divisional Forest Officer, Almora inquired with regard to violation of Forest Conservation Act at the spot, in continuation of the same, the project proponent/department informed that vide letter no.81/3C (V.Bhu.) dated 9.1.2024, the contactor done the work without informing the officers/ employees of the department, and with regard to the same the Department issued several letters with regard to violation of conditions of the contract. That the contactor vide its letter dated 13.7.2023,had informed that



Eguf

		<p>their JCB machine operator namely Shri Devendra Singh had cut some corner of some civil lands in changed alignment, which cause minor harm to some trees, the Forest Department has taken the said trees into their possession, for which the contractor admitted the mistake of the machine operator and agreed to pay fine for the same and for the same the fine of Rs.1,05,000/- has already been imposed and recovered in the name of JCB operator.</p>
3.	DFO shall verify the area and submit KML file to the original road	The Divisional Forest Officer, inspected the motor road on 20.12.2023, and also inspected



[Handwritten Signature]

	<p>diversion area and the area where road actually constructed on the ground separately (with different colour) alongwith the details of length and width.</p>	<p>the alignment and also inspected actual position. The Public Works Department provided all the records with regard to changed alignment. The total length is 5.650 K.M. and width is 9.00 meter in the same. The Public Works Department recommended for minor changed in the approved 1.150 K.M. length in the Naap and Civil land, and the same was approved by the appropriate officer. The Public Works Department presently done the work of road cutting of about 2.50 k.m. length and 6.00 meter width.</p>
4.	The DFO/CF shall	The Divisional Forest Officer,




<p>initiate action against violators under section 3a and 3b of the Forest Conservation Act, 1980 with is clarify by the MoEF&CC guidelines dated 15.5.2023. the DFO shall comply the action within 15 days.</p>	<p>Almora issued Notice to the project proponent department under section 3 (a) and 3 (b) of the Forest Conservation Act, 1980 vide dated 18.12.2023 with regard change in alignment. In compliance of the same the report was provided vide letter no.81/03 C.(V.Bhu.) dated 9.1.2024, in which changed in alignment was found of 0.408 Hect. The project proponent department imposed fine as N.P.V. amount (in the double rate of NPV as presently, the 20 percent of the same and 12 percent annual interest total amount (0.408x1292850x2x20%)</p>
--	---




[Handwritten Signature]

		<p>+12% annual interest for 1.5 years) comes to Rs.248972.00 (Rupees two lakhs forty eight thousand nine hundred and seventy two only),the above NPV amount of Rs.248972/- may be provided by the project proponent department as per conditions of in-principle approval.</p>
--	--	--

30. That it is also important to mention herein, that the contractor vide its letter dated 13.7.2023 has admitted the fault of their JCB operator and agreed to pay fine, **Rs.1.05 Lakhs has already been recovered** by the Divisional Forest Officer, Almora. Uttarakhand from the contractor.

31. It is also important to mention in view of the court case file by the applicant herein before the Civil Judge (Junior Division) Almora with regard to the earlier alignment, the public works



Egip

department and revenue department had done new survey for change in the earlier alignment. The local public and public representative Shri Raghunath Singh Chauhan, the then Hon'ble Deputy Speaker, Uttarakhand Vidhan Sabha directed to change the alignment vide his letter no.1863/Hon'ble Deputy Speake dehradun dated 09.09.2021. The contractor started the work in the above said area of 5.650k.m., without informing Public Works Department and due to that minor harm caused to the trees, in cutting of the corner in the Naap land.

32. That it is relevant to mention herein that in past several accidents occurred in Almora –Ghat motor road (N.H. 309) due excessive grade of the road on the Chitai to Petshali.
33. That the said accidents can be avoided after completion of the road in question.
34. That it is respectfully submitted that proposed motor road from Chatai Pant Tiraha to (beyond the Hari Dutt Petsali Inter College) to Petshalis a very important road. For construction of the proposed road the villagers and public representatives are regularly demanding/ approaching the Government and the



[Handwritten Signature]

235

same is in larger public interest. By construction of the abovesaid proposed road, the villagers of villages Chitai Pant, ChitaiTiwari, Manyoli, Poonakot, PetshalBadi, PaatalDev will be benefited for education, medical facility and agriculture etc. in very short time they will reach their destination, as the farmers can take their produces to main highway/ main market etc. as well as the transportation charges will decrease for villagers, thereby the economical and financial condition will be better for the poor villagers, as well as they will get better prices of their produces after going to the main market in a less time, and it is very important to mention herein that migration will also be stop after construction of the proposed road.

35. That the committee of Engineer Pradeep Puri, the then Junior engineer (Contract), Engineer G.B. Joshi, the then Assistant engineer and Engineer Ashutosh Kumar , the then Executive engineer had prepare the proposal of proposed amended alignment and Engineer P.S. Nabiyal, the then Superintending Engineer, First Circle, PW.D. approved the same on 22.10.2021. The contract for the above said road was executed




[Handwritten signature]

236

by the Engineer G.B. Joshi , the then Assistant engineer, Engineer Ashutosh Kumar , the then Executive engineer, Construction Division, Almora and Engineer G.C. Arya, the then Superintending Engineer , First Circle, PWD, Almora.

36. That the Chief Engineer PWD, Almora , vide its letter dated 16.2.2024 send the report to the Head of Department, PWD, Dehradun, wherein it was informed that the then Executive Engineer could not send the proposal for final / vidhiwat approval with regard to amended alignment, whereas the in-principle approval was received on 17.11.2020 for length of 7.700 K.M. It is also relevant to mention herein that in the amended alignment only 513 trees will be affected, whereas in the earlier alignment 794 trees were going to be affected, and no reserved forest land will be affected in the amended alignment and civil/ van panchayat andnaap land comes in the amended alignment and proposal for transfer of forest land has to be send in the amended alignment for due approval of transfer of forest land.



That the present Response by way of Affidavit in compliance

Egiff

of direction passed by this Hon'ble Tribunal is being filed kind perusal of this Hon'ble Tribunal.

[Signature]
DEPONENT

VERIFICATION

I, the deponent above named do hereby verify and say that the contents of my above report by way of affidavit are true and correct to my knowledge based on record, no part of it is false and nothing material has been concealed there from. The legal submissions are further true as per legal advice received and believed to be true and correct.

Identified by:

Verified by me at Almora, Uttarakhand on this 26 day of February, 2024.

certified that this is the true and correct copy of the original as shown to me by the deponent identified by Vibhor Gupta Executive Engineer, C.D.P.O.D Almora
sworn and verified the contents of this Affidavit at Almora on 26-02-24 at 1:00 pm
A.O. C.D.P.O.D. Almora.

DEPONENT

Filed through:

[Signature]
Kundan Singh Bhandari
Notary H.O. Almora (U.K.)

[Signature]



238
Rahul-Verma

[RAHUL VERMA]

Additional Advocate General for State of Uttarakhand
/Respondents

137, Tower No.10, Supreme Enclave,
MayurVihar Phase-I,
Delhi-110091

Mobile No. 9717706032

Email- advrahulverma9999@gmail.com



[Signature]

~~खण्ड-6 (पेज-11)~~

11

~~ANNEXURE 3~~

98

2/05/21

न्यायालय सिविल जज जू0डि0 अल्मोडा,
दीवानी वाद सं0-11/2021
रमेश भरत विसंजी बनाम उत्तराखण्ड सरकार व एक अन्य

20
04.03.2022

वाद पुकारा गया। वादी मय विद्वान अधिवक्ता श्री हरीश चन्द्र लोहनी एवं प्रतिवादी की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता दीवानी श्री पंकज लटवाल न्यायालय उपस्थित। आज की तिथि सुनवाई कागज संख्या 6ग2 हेतु नियत है।

वादी द्वारा प्रार्थना पत्र कागज संख्या 29क के माध्यम से यह कथन किया गया है कि प्रतिवादीगण के द्वारा पूर्व में वादी की निजी भूमि पर निर्माण कार्य किया जा रहा था, तो वादी के द्वारा मौजूदा वाद योजित किया गया। उपरोक्त मामले में प्रतिवादीगण विभाग द्वारा लिखित तौर पर अभिकथन कर दिया गया है कि उनके द्वारा मोटर मार्ग का नया एलाइन्मेंट तैयार कर लिया गया है, जिसमें वादी की भूमि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न होने की संभावना होने की जानकारी न्यायालय को दी गयी है। जिस कारण वादी द्वारा वाद में आगे कार्यवाही न चाहते हुए वाद को निस्तारित करने की प्रार्थना की है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि वादी द्वारा प्रार्थना पत्र कागज संख्या 29क में यह कथन किया गया कि प्रतिवादी विभाग द्वारा मोटर मार्ग का नया अलाइन्मेंट तैयार कर लिया गया है, जिससे वादी की भूमि में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं हो रहा है। वादी उपरोक्त वाद में कोई बल नहीं देना चाहते हैं। अतः उपरोक्त परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए हस्तगत वाद की कार्यवाही वादी द्वारा वाद में बल न दिये जाने के कारण निस्तारित की जाती है।

पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार प्रेषित की जाए।



Witnessed & Authenticated in
Executive Office
on 26.2.24, Almora
Kishor
Kundan Singh Prasad

व्यवस्थापक सिविल जज (जू0डि0) अल्मोडा
दिनांक: 11/20.21
रमेश भरत विसंजी vs राज्य सरकार व अन्य

Landmark
04.03.2022

(करिश्मा डंगवाल)
सिविल जज (जू0डि0), अल्मोडा।

TRUK COPY

प्रतिनिधिक का नाम
जुवाकार का नाम/हस्ताक्षर
यदि कोई लक्ष्य

प्रतिनिधिक
प्रतिनिधिक


2

~~खर्च=5 (पंज=74 10)~~

(सं. 150) न्यायालय श्रीमान सिविल जज प्रिनियर डिविजन महोदय अल्मोडा।

7
1000 नो. वि. 101/2021

वादी :- रसेश भरत विसंजी



बनाम

प्रतिवादी :- राज्य सरकार उत्तराखण्ड आदि

वाद पत्र के समर्थन में शपथपत्र

मैं कि रसेश भरत विसंजी उम्र वयस्क पुत्र श्री भरत विसंजी निवासी - मकान न0 56 ग्राम चितई पंत पोस्ट चितई तहसील व जिला अल्मोडा वाला शपथपूर्वक निम्न कथन बयान करता हूँ :-

- 1- कि मैं मौजूदा वाद में वादी हूँ एवं मामले के तथ्यों से भली प्रकार से भिन्न हूँ।
- 2- कि मेरे द्वारा माननीय न्यायालय में आज एक वाद योजित किया गया है जिसके पैरा संख्या 1 लगायत 7 में जो भी तथ्य से संबन्धित कथन किये गये है उन्हें मैं अपनी निजि जानकारी एवं विश्वास के आधार पर एवं वाद पत्र के पैरा संख्या 8 एवं 9 को जो कि विधि से संबन्धित है को विधिक राय के आधार पर सही एवं सत्य होना घोषित करता हूँ।
- 3- कि मेरे द्वारा कोई भी तथ्य जो कि वाद के लिये महत्वपूर्ण हो छिपाया नहीं गया है एवं सत्य कथनों को कथित किया गया है।


हस्ताक्षर

मैं कि रसेश भरत विसंजी वादी / शपथकर्ता उपरोक्त इस शपथपत्र के पैरा संख्या 1 लगायत 3 को अपनी निजि जानकारी एवं विश्वास के आधार पर सही एवं सत्य होना घोषित करता हूँ।

अल्मोडा।
दिनांक 05/06/2021

हस्ताक्षर

सहायक जज न्यायालय




Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including '26.2.24' and 'Khemdas Bhandari'.

न्यायालय श्रीमान सिविल जाज अनियर डिविजन महोदय अल्मोडा।

वादी :- रसेश भारत विसजी
बनाम्

प्रतिवादी :- राज्य सरकार उत्तराखण्ड आदि



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 सीओपीओसी
महोदय.

वादी निम्न निवेदन करता है :-

- 1- कि वादी के द्वारा आज एक वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है जिसमें सफल होने की वादी को पूर्ण विश्वास एवं आशा है।
- 2- कि वादी के द्वारा जरिये विक्रय पत्र 7 जुलाय 2020 को मौजा मन्थोली बारामण्डल पटवारी क्षेत्र चितई तहसील व जिला अल्मोडा के फसली वर्ष 1417- 1422 के ज0वि0खा0खतौनी संख्या 00013 बसरह न0 580 में दूज पैमाइश नम्बर 580 लगायत 587, 605 लगायत 607, पै0न0 609 लगायत 611, पै0न0 619 लगायत पै0न0 625, पैमाइश नम्बर 627, 628, पै0न0 63 लगायत 637, पै0न0 639 लगायत 643, पै0न0 646 लगायत 652, पै0न0 65 लगायत 672, पै0 न0 674, 675, 677, 683 लगायत 692, पै0न0 694 लगायत 70 अर्थात विक्रय पत्र के साथ सलग्न नक्शे में दर्शित भाग 1 का सम्पूर्ण रकबा 3200 हेक्टेअर भूमि व पै0न0 708 लगायत 716, पैमाइश नम्बर 722 लगायत 727, पै0न0 729 लगायत 742, 744, 746 लगायत 759, पै0 761, 763, 764, 769, लगायत, 775 एवं पैमाइश नम्बर 777, 778, 843, 1398, 1399, 14 लगायत 1405 पै0न0 1407, 1409, 1410, 1419 मध्ये रकबा 0.004 हेक्टे 1420, 1421, की समस्त भूमि यानि 0.8560 हेक्टेअर भूमि जो कि विक्रय पत्र साथ सलग्न नक्शे भाग 2 में दर्शायी गयी है। अर्थात उपरोक्त वर्णित सम् भूमि का वादी ही एकमात्र मालिक काबिज चला आता है।
- 3- कि वादी उपरोक्त भूमि से 1 दूरी पर यानि चितई अल्मोडा मे नि करता है इधर प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा बिना वादी की भूमि को अध

द्वारा अधिष्ठित किया है

रसेश भारत

रसेश भारत



9

17

—समस्त भूमि का विवरण
 3.14.17.2021

1420, 1421, की समस्त भूमि यानि 0.8560 हेक्टेअर भूमि जो कि विक्रय पत्र के साथ सलग्न नक्शे भाग 2 में दर्शायी गयी है। अर्थात् उपरोक्त वर्णित समस्त भूमि का वादी ही एकमात्र मालिक काबिज चला आता है।

3- कि वादी उपरोक्त भूमि से ^{3.14.17.2021} दूरी पर यानि चितई अल्मोडा में निवास करता है इधर प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा बिना वादी की भूमि को अध्याप्त किये या किसी प्रकार का मुआवजा दिये वादी की अनुमति के बिना वादी की उपरोक्त भूमि में विधि विरुद्ध तरीके से प्रवेश कर वादी की भूमि का एलाइमेंट कर उसमें सड़क बनाये की योजना प्रारम्भ कर दी है।

4- कि विगत कुछ समय से कोरोनाकाल में जारी प्रतिबन्धों के कारण वादी अपनी उपरोक्त भूमि में नहीं जा सका तो उसका नाजायज लाभ उठाते हुवे प्रतिवादी विभाग के द्वारा वादी की भूमि में अवैध पीलर डाल दिये गये हैं जिनके फोटोग्राफ वाद पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के साथ न्यायालय में प्रस्तुत किये गये हैं।

5- कि वादी के द्वारा वक्त भूमि को कय करते समय अमीन के माध्यम से अपनी भूमि का नक्शा तैयार किया गया था। जिसके आधार पर वादी के द्वारा इधर विगत दिनों 25.5.2021 को अपनी भूमि का निरीक्षण किया गया तो वादी के संज्ञान में यह तथ्य आया किया कि प्रतिवादी विभाग के द्वारा कोरोना काल का नाजायज लाभ उठाते हुवे वादी की भूमि में पीलर डाल दिये गये हैं जो पीलर वादी के स्वामित्व वाले मौजा मन्चोली बारामण्डल पटवारी क्षेत्र चितई तहसील व जिला अल्मोडा के फसली वर्ष 1417- 1422 के ज०वि०खा०खतौनी संख्या 00013 बसरह न० 580 में दर्ज पैमाइश 678,679,684,685,686,687,688,689 आदि नम्बरों में डाले गये हैं जिस भूमि में रोड बनाने की तैयारी प्रतिवादी संख्या 2 के विभाग से की जा रही है उक्त भूमि को वाद पत्र के साथ सलग्न नक्शे परिशिष्ट "क" लाल रेखाकन से दर्शाया गया है जिसके भीतर आने वाले समस्त भूमि पर सड़क निर्माण कार्य रोके जाने के आशय से यह वाद प्रस्तुत है।

6- कि वर्तमान में कोरोना काल में जनता पर प्रतिबन्ध लगाये गये हैं जिसका नाजायज लाभ प्रतिवादीगण उठाना चाह रहे हैं जिस कारण प्रतिवादीगण को 80 सी०पी०सी के अर्न्तगत 2 माह का नोटिस दिया जाना

द्वारा नोटिस दिया जाता है

Handwritten signature

Handwritten signature





कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता,
प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा



E-mail : sepwdalm@rediffmail.com

P.N.:- 05962-230295

पत्रांक:- 7624/204 सी0-01/2021.

दिनांक:- 22/10 /2021

सेवा में,

अधिकासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।



विषय:- जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के चितईपन्त तिराहे से (हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मार्ग के निर्माण का पुनरीक्षित समरेखण प्रस्ताव अनुमोदन किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 2386/1 सी0 आगणन, दिनांक 06.10.2021।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के माध्यम से प्रेषित जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के चितईपन्त तिराहे से (हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मार्ग के निर्माण कार्य हेतु पुनरीक्षित समरेखण प्रस्ताव नं0 1, जो लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है, आपके द्वारा दी गयी आख्या/संस्तुति के आधार पर औपचारिक अनुमोदित किया जाता है। अनुमोदित पुनरीक्षित समरेखण प्रस्ताव की एक प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न की जा रही है।

स्वीकृत लम्बाई:- 8.00 किमी0

पुनरीक्षित समरेखण की लम्बाई:- 5.650 किमी0

संलग्न- पुनरीक्षित समरेखण प्रस्ताव 1 नं0।



(इ0 पी0एस0 नबियाल)

अधीक्षण अभियन्ता
22/10/21

प्रतिलिपि:- कनिष्ठ अभियन्ता, (प्राविधिक) प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।


T.E.(T)

अधीक्षण अभियन्ता
25/10/21

Copy to AED

अधीक्षण अभियन्ता

Egoff



कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

E-mail: sepwdalm@rediffmail.com/sealm.pwduk@gov.in

फ़ोन 05962-230295

पत्रांक 8163/204सी-01/2021-22

दिनांक 06/12/2021

कार्यालय ज्ञाप

जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग चितई पन्त तिराहे से (हरिदत्त पेटशाली इंटर कॉलेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मार्ग निर्माण कार्य की स्वीकृति शासनादेश संख्या 572/111 (2)/06 08 (पा0आ0)/06 दि0 28 मार्च, 2006 द्वारा 8.00 किमी0 लम्बाई हेतु लागत ₹ 200.16 लाख की प्राप्त है। शारान द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के कम इस कार्यालय के पत्रांक 1927/204सी0-01/2021-22 दिनांक 03/06/2021 द्वारा 3.250 किमी0 लम्बाई एवं लागत ₹ 200.16 लाख मात्र की पूर्ण प्राविधिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

स्वीकृत समरेखण में ग्रामीणों द्वारा भूमि विवाद करने के कारण उप जिलाधिकारी सदर, अल्मोड़ा एवं स्थानीय ग्रामीणों के साथ हुई बैठक के उपरान्त सहमति के कम्प में इस कार्यालय के पत्रांक 7624/204सी0-01/2021 दि0 22/10/2021 द्वारा पुनरीक्षित समरेखण अनुमोदित किया गया है।

पुनरीक्षित समरेखण के अनुसार अधिशारी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा द्वारा प्रेषित आगणन पर लम्बाई 3.00 किमी0 एवं लागत ₹ 200.16 लाख मात्र (₹ दो सौ लाख एवं सोलह हजार मात्र) की पुनरीक्षित प्राविधिक स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है। इस कार्यालय ज्ञाप संख्या-1927/204सी0-01/2021-22 दिनांक 03/06/2021 की शेष शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

यह पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति इस कार्यालय के प्राविधिक पंजिका के क्रमांक 26/2021-22 में पंजीकृत कर ली गयी है।

(मनोहर सिंह)
अधीक्षण अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, ओबराय विल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य अभियन्ता, अल्मोड़ा क्षेत्र, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा।
4. अधिशारी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा को आगणन की प्रति एवं प्राविधिक टिप्पणी की प्रति सहित।

संलग्न:- आगणन एवं प्राविधिक टिप्पणी।

5. कनिष्ठ अभियन्ता, प्राविधिक, वृत्त कार्यालय को आगणन की प्रति सहित।

संलग्न:- उक्तानुसार आगणन-1 प्रति।

Prepared & Authenticated by

On 26-2-24 At Moh

Kapoor

Handwritten signature and stamp area.



Handwritten signature and stamp of the Officer-in-Charge.

1/True copy

~~149~~

149

~~149~~
149
विशेष वाहक

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

E-mail: sepwdaalm@rediffmail.com,

sealm.pwduk@gov.in

☎ 05962 - 230295

क्रमांक - 2265

/निविदा -01/2021

दि. 27/11/2021

सेवा में,

सम्पादाक,
दैनिक हिन्दुस्तान /अमर उजाला,
अल्मोड़ा।

विषय :- ई- निविदा सूचना के प्रकाशन के सम्बन्ध में।

सहोदय,

कृपया संलग्न ई-निविदा सूचना दिनांक 30/11/2021 से पूर्व कुमारों संस्करण में (न्यूनतम पठनीय फॉन्ट) में प्रकाशित करने का कष्ट करें। प्रकाशित समाचार पत्र की प्रति इस कार्यालय को ई-मेल रा/हार्ड कॉपी से प्रेषित करते हुए देयक की प्रति भुगतान हेतु जिला सूचना अधिकारी, अल्मोड़ा से सत्यापित करके इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न - निविदा सूचना।

(गनोहर सिंह)
अधीक्षण अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित -

- 1- प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग, अनुभाग-1 उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2- प्रमुख अभियन्ता, उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
- 3- मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
- 4- जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
- 5- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय/निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा/रानीखेत को इस आशय से प्रेषित कि दिनांक 30/11/2021 तक निविदा www.uktenders.gov.in पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें। किसी भी विलम्ब के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- 6- सूचना पट।

सहायक निदेशक

अधीक्षण अभियन्ता

Notary Seal & Authenticated the Executed Name

26.2.24 Almora

Notary Seal

Notary Seal

Notary Seal

247

(188)

4/11/21



कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता,
 प्रथम वृत्त, लोनिठवि, अल्मोड़ा
 राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक निविदा (E-Tendering)

राज्यपाल महोदया उत्तराखण्ड की ओर से अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लोनिठवि द्वारा निम्न कार्य की निविदा टू बिल्ड सिस्टम (Two Bid System) के अन्तर्गत ई-टैण्डरिंग को आमंत्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित सभी सूचना <http://www.uktenders.gov.in> पर 30/1/2021 से उपलब्ध रहेगी।

क्र. सं.	कार्य का नाम	निविदा प्रपत्र का मूल्य	घरोहर धनराशि (लाख रू० में)	निविदा की वैधता (दिन)	कार्य पूर्ण करने का समय	टेंडरदार का
1	जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत ज्योती-बसर- खुंट मोटर मार्ग से बसगांव - दरमा मोटर मार्ग के किमी० 2 में 18मी० स्तंभसिगत लेन मोटर सेतु का निर्माण।	5000.00 + 18% GST	3.22 लाख	120 दिन	15 माह	सेतु कार्य श्रेणी एवं
2	नाम संख्या 200/2021 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र लोनिठ में शीतलाखेत-काकडोघाट (गटेला) मोटर मार्ग में डामरीकरण एवं सुधारीकरण का कार्य। लम्बाई 5.00 किमी०	5000.00 + 18% GST	5.77 लाख	60 दिन	15 माह	मार्ग व पंजीकृत एवं उच्च
3	राम योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के चितईपन्त विहा से हरिदत्ता पेटशाली इण्टर कॉलेज पर्यन्त तक लिंक मार्ग में पार्ट- I पार्ट- II का निर्माण कार्य (किमी० 1 से 3 कुल 3.00 किमी०)।	5000.00 + 18% GST	3.20 लाख	120 दिन	15 माह	मार्ग व पंजीकृत एवं उच्च
4	जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र व विकास खण्ड हाराहाट में छबीसा-बगालीपाथर मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण का कार्य। लम्बाई 6.20 किमी०।	5000.00 + 18% GST	6.75 लाख	60 दिन	18 माह	मार्ग कार्य श्रेणी एवं उच्च



Witnessed & Authenticated the
 Executed By me
 On 26-2-21
 Kunda Singh Bhandari
 NOTARY

Handwritten signatures and text including 'TR 05 COPY' and other illegible marks.

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001
दूरभाष: 0135-2650809
फैक्स-0135-2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं० 8वीं/यू.सी.पी./06/125/2015/एफ0सी0/1449

दिनांक: 25/01/2023

सेवा में,

✓ अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय : जनपद -- अल्मोड़ा में चितई पंत से हरिदत्त पेटशाली इण्टर कॉलेज मोटर मार्ग के निर्माण हेतु
2.43875 है० वन भूमि का लोक निर्माण को प्रत्यावर्तन। (online no.
FP/UK/ROAD/9220/2015)

सन्दर्भ:- प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड का पत्रांक - 3329/12-1,
अल्मोड़ा, दिनांक 31-12-2022

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 17.11.2020 द्वारा प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। प्रभागीय वनाधिकारी के संदर्भित पत्र द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव में हुए उल्लंघन की सूचना दी गई है। प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि ओ.ए. संख्या 614/2022 माननीय एन०जी०टी०, नई दिल्ली के समक्ष चितई मंजोली पेटशाल एनएच के प्रस्तावित 6 किलोमीटर के निर्माण हेतु जेसीवी का उपयोग करके वृक्षों की अवैध कटाई के संबंध में दायर किया गया है। प्रकरण प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/9220/2015 से संबंधित है जिसे इस कार्यालय द्वारा दिनांक 17.11.2020 को सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई थी।

प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट और ऑनलाइन पोर्टल में अपलोड किए गए प्रस्तावित संरक्षण के कंप्लैन्ट पर जमीनी स्तर पर किए गए कार्य को देखते हुए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना संरक्षण में बदलाव दिखाई दे रहा है। अतः सैद्धान्तिक स्वीकृति की मंजूरी को तत्काल प्रभाव से कार्य नहीं किया जाएगा।

राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह निम्नानुसार दस्तावेज/ जानकारी/ स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करें :-

1. Guidelines के दिशानिर्देश पैरा 1.21 के दृष्टिगत राज्य सरकार संरक्षण में दिखाई दे रहे बदलाव में की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन एवं जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम की सूची प्रेषित करने का कष्ट करें।



[Handwritten Signature]

- 2. संरक्षण में परिवर्तन हेतु संशोधित प्रस्ताव भी इस कार्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।
- 3. प्रभागीय वनाधिकारी की रिपोर्ट से ऐसा लगता है कि मार्ग काटने का काम स्टेज-2 की मंजूरी या प्रभागीय वनाधिकारी से कोई कार्य अनुमति लिए बिना शुरू किया गया था। यह भी बताया गया है कि संरक्षण में बदलाव को पीडब्ल्यूडी ने मंजूरी दे दी है। इस संबंध में पीडब्ल्यूडी द्वारा ठेकेदार को जारी विभिन्न अनुमतियों की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

उपरोक्त त्रुटियों की पूर्तता के उपरांत ही प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

भवदीय,

(गजेन्द्र प्रकाश नरवणे)
 सहायक महानिरीक्षक (वन)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-
 1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून।

(गजेन्द्र प्रकाश नरवणे)
 सहायक महानिरीक्षक (वन)

NOTARY PUBLIC
 No. 26-2-24 Amritsar
 KUNDRA
 H. C. Amritsar (Sarabandi)
 Reg. No. 14 (2) 2007



TR 06 CP 44



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा



E-mail-eeedalmorapwd@rediffmail.com

पत्रांक- 978 / 2021 (क) (क) (क) (क)
सेवा में

दिनांक 23/03/2023

तक लिंक

सं०-8वी

जलवायु
करने

घेत
या

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

विषय:- राज्य योजना के अन्तर्गत चितई पन्त तिराहे से (हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक लिंक मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में। (Praposal No. FP/UK/Road/9220/2015)

संदर्भ:- आपका कार्यालय पत्रांक-3717/12-1 (2) अल्मोड़ा दि० 27.01.2023 एवं भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून के पत्र सं०-8वी / यू०सी०पी०/०६/125/2015 / एफ०सी०/1449 दिनांक 25.01.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में सादर अवगत कराना है कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून के उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से तीन बिन्दुओं पर दस्तावेज/जानकारी/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया है, जो निम्नानुसार है-
बिन्दु० सं० 1- उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा भारत सरकार के वन संरक्षक एक्ट 1980 के कॉमन Guidelines के पत्रांक-F NO 11-42-FC दि० 29.01.2018 के तहत पैरा 121 का उल्लंघन नहीं किया गया है। उपरोक्त मोटर मार्ग के समरेखन में दिखाई दे रहे बदलाव मार्ग के प्रारम्भिक बिन्दु से 1 किमी० तक ट्रैसकट/सड़क कटान भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून द्वारा पूर्व स्वीकृति समरेखन के तहत किया गया है तथा उक्त के आगे स्थानीय ग्रामीणों द्वारा समरेखन बदलने हेतु विवाद किया गया है।

उपजिलाधिकारी, सदर अल्मोड़ा ने अपने पत्र सं०-1059/विविध पत्रा०-पै०सह०/2019-20 दि० 22.07.2021 में अंकित विषयक "चितई पेटशाल-मन्योली मोटर मार्ग के निर्माण सई किये जाने के सम्बन्ध में" अवगत कराया गया है कि "उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महादय अल्मोड़ा द्वारा तहसील अल्मोड़ा के अन्तर्गत चितई-पेटशाल-मन्योली सड़क निर्माण का दि० 05.04.2021 को संयुक्त निरीक्षण किया गया। उक्त निरीक्षण में प्रधान, ग्राम पंचायत चितई तिवारी, विकासखण्ड हवालबाग, जिला अल्मोड़ा द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि विवादित क्षेत्र का विकल्प के तौर पर ग्रामीण जिनके कब्जे/स्वामित्व में यह वैकल्पिक क्षेत्र है, को सड़क निर्माण हेतु देने को तैयार हैं। उक्त सड़क निर्माण कार्य का सर्वे कर निर्माण कार्य शुरू कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। अतः पत्र की प्रति आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि प्रकरण में सर्वे कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें "(संलग्नक-1)।

उक्त मार्ग पर श्री राशेश भगत विसंजी पुत्र श्री भगत विसंजी ग्राम चितई पन्त जिला अल्मोड़ा द्वारा दि० 05.06.2021 को मा० न्यायालय सिविल जज (जू०डी०) अल्मोड़ा में विषयक मार्ग के पूर्व स्वीकृत समरेखन को, अपनी निजी भूमि से बदलने हेतु वाद सं०-11/2021 दायर किया गया (संलग्नक-2)। जिस कारण समरेखन में आंशिक बदलाव नाप भूमि में किया गया है जो कि पुनः भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून द्वारा स्वीकृत समरेखन से जोड़ दिया गया है। संशोधित समरेखन पूर्ण रूप से ग्रामीणों की नोपभूमि में किया गया है। वनभूमि में समरेखन में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है।

Letter 2022



Egyp

उपजिलाधिकारी, सदर अल्मोड़ा द्वारा अपने पत्र सं०-1057/विविध पत्रा०-वै०सहा० /2019-20 दि० 01.07.2021 द्वारा अवगत कराया गया है कि "जिलाधिकारी महोदय अल्मोड़ा द्वारा तहसील अल्मोड़ा अन्तर्गत चितई-पेटशाल-मन्थोली सड़क निर्माण का संयुक्त निरीक्षण कर संयुक्त जी० आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। जिलाधिकारी, महोदय अल्मोड़ा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में उपजिलाधिकारी द्वारा तहसील अल्मोड़ा के अन्तर्गत चितई-पेटशाल-मन्थोली सड़क निर्माण का संयुक्त निरीक्षण हेतु दि० 05.07.2021 की तिथि नियत की जाती है।" (संलग्नक-3)

उपजिलाधिकारी, सदर अल्मोड़ा के निर्देश के क्रम में तहसीलदार अल्मोड़ा द्वारा अपने पत्रांक-1710/वि०/2020-21 दि० 09.07.2021 द्वारा दि० 05.07.2021 को संयुक्त निरीक्षण आख्या उपजिलाधिकारी, सदर अल्मोड़ा को प्रेषित की गयी। जिसमें लोक निर्माण विभाग के मौके पर उपस्थित अधिकारियों से उक्त मोटर मार्ग के पुनः सर्वेक्षण के लिए कहा गया है " (संलग्नक-4)।

समस्त ग्रामीण मन्थोली, पलाल देवी द्वारा दिनांक 06.08.2021 को चितईपंत तिराहे से पेटशाल लिंक मोटर मार्ग का समरेखन विवादित क्षेत्र से बदल कर, निर्माण प्रारम्भ करवाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी अल्मोड़ा को पत्र प्रेषित किया गया, जिसके क्रम में जिलाधिकारी, अल्मोड़ा के पत्रांक-495/चौबीस-LAC/20-21 दि० 16.08.2021 द्वारा प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु उपजिलाधिकारी सदर अल्मोड़ा को निर्देशित किया गया, तत्पश्चात उपजिलाधिकारी सदर अल्मोड़ा के पृष्ठांकन संख्या 2282/वि०/2020-21 दिनांक 17.08.2021 द्वारा प्रकरण में तहसीलदार अल्मोड़ा एवं अधिशासी अभियन्ता, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा को तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया (संलग्नक-5)।

प्रधान ग्राम पंचायत चितई तिवारी, जिला अल्मोड़ा एवं समस्त ग्रामवासियों के पत्र दि० 08.09.2021 (संलग्नक-6) द्वारा तत्कालीन मा० उपाध्यक्ष विधानसभा, उत्तराखण्ड श्री रघुनाथ सिंह चौहान जी से विषयक मार्ग निर्माण हेतु अवगत कराया गया है कि पूर्व समरेखन में वाद व विवाद होने के फलस्वरूप राजस्व विभाग के प्रतिनिधि की उपस्थिति में उक्त मार्ग के समरेखन में परिवर्तन कर दिया गया है, जिसका प्रस्ताव, ग्राम सभा की आम बैठक में सर्वसहमति से पारित किया गया है तथा उक्त सर्व परिवर्तन के अनुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु लो०नि०वि० अल्मोड़ा को निर्देशित करने की कृपा करें, जिसके क्रम में तत्कालीन मा० उपाध्यक्ष विधानसभा, उत्तराखण्ड श्री रघुनाथ सिंह चौहान जी द्वारा अपने पत्र सं०-1863 मा०उपा०/वि०स० देहरादून, उत्तराखण्ड दि० 09.09.2021 के क्रम में चितई-पेटशाल-मन्थोली मोटर मार्ग के पूर्व सर्वे कार्य में आशिक परिवर्तन करने हेतु निर्देशित किया गया (संलग्नक-7)।

मा०न्यायालय सिविल जज जू०डि० अल्मोड़ा द्वारा दीवानी वाद सं०-11/2021 श्री रायश भरत विसजी पुत्र श्री भरत विसजी बनाम उत्तराखण्ड सरकार व अन्य के सम्बन्ध में दि० 04.03.2022 को आदेश पारित किया गया। जिसमें प्रतिवादी विभाग द्वारा लिखित तौर पर अभिकथन कर दिया गया है कि उनके द्वारा मोटर मार्ग का नया एलाइन्मेंट तैयार कर लिया गया। जिससे वादी की भूमि में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं हो रहा है। अतः वाद निस्तारित की जाती है (संलग्नक-8)।

जिलाधिकारी, अल्मोड़ा एवं उपजिलाधिकारी, सदर अल्मोड़ा के निर्देशों के क्रम में सहायित पुनरीक्षित समरेखन प्रस्ताव हेतु राजस्व उपनिरीक्षक चितई की उपस्थिति में सर्वे कार्य पूर्ण करते हुए सहायित पुनरीक्षित समरेखन प्रस्ताव गठित किया गया। जिसका अनुमोदन अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा के पत्रांक-7624/204सी०-01/2021 दि० 22.10.2021 द्वारा किया गया (संलग्नक-9)।

पूर्व अनुमोदित संरक्षण में परिवर्तन गैर वनभूमि पर ही किया गया है जिसकी पुष्टि माननीय एनओजीसी द्वारा गठित जाँच समिति के स्थलीय निरीक्षण आख्या दि० 09.11.2022 के द्वारा भी की गयी है (संलग्नक-10)।

संशोधित पुनरीक्षित संरक्षण केवल नाप भूमि में किया गया है। वन क्षेत्र में संरक्षण में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जिस हेतु ग्रामीणों की सहमति प्राप्त है (संलग्नक-11)। संशोधित पुनरीक्षित संरक्षण में पूर्व अनुमोदित संरक्षण की तुलना में कम वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। संशोधित संरक्षण में चितई पन्त, चितई तिवारी, चितई बाड़ी, पातालदेव आदि ग्राम लाभान्वित हो रहे हैं।


सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिसोपित शर्तों का पालन करते हुए विधिवत् स्वीकृति हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्रांक-3414/3सी० व०भू० दि० 07.11.2022 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी को आनलाईन प्रेषित किया गया है (संलग्नक-12)। अल्मोड़ा-घाट (राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 309 बी के चितई से पेटशाल विशेषकर कालीघार नामक स्थान पर मार्ग का ग्रेड चौड़ाई, कर्व आदि अत्यधिक खराब होने के कारण विगत 15 वर्षों में ही मार्ग दुर्घटना के कारण लगभग 50 से ज्यादा मौते हो चुकी है। (समाचार पत्रों की छायाप्रति संलग्नक-13) यदि चितई पन्त तिराहे से पेटशाल तक नये मार्ग का निर्माण किया जाता है तो इस मार्ग के निर्माण के पश्चात् इस प्रभाग में एक वैकल्पिक मार्ग प्राप्त होगा। जिससे यात्रियों को सुविधा प्राप्त होने के साथ-साथ सुरक्षित यातायात की सुविधा प्राप्त होगी।

जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के चितई पन्त तिराहे से (हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक/लिंग मोटर मार्ग एक महत्वपूर्ण मोटर मार्ग है। जिस हेतु ग्रामवासियों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा अतिशीघ्र मार्ग निर्माण हेतु निरन्तर निवेदन किया जा रहा है। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण से ग्राम चितईपन्त, चितई तिवारी, मन्चोली, पूनाकोट, पेटशालबाड़ी, पातालदेव आदि ग्रामवासियों को शिक्षा, चिकित्सा एवं कृषि के क्षेत्र में अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा एवं पलायन भी रुकेगा।

श्री राशश बी विशनजी एवं अन्य द्वारा दि० 17.05.2022 को चितई-मन्चोली पेटशाल मोटर मार्ग के कार्य को रूकवाये जाने व मार्ग की जाँच करवाये जाने बाबत चेयरमैन राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को एक प्रार्थना-पत्र प्रेषित किया गया था। जिसका संज्ञान लेते हुए मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दि० 06.01.2023 को आदेश पारित किया गया। जिसके बिन्दु सं०-8 में "in their reply/response the respondents shall give requisite details regarding action plan formulated for compensatory afforestation, budgetary provisions made, the species to be planted, particulars of land selected for afforestation, specific timeline for said plantation and steps to be taken for protection of the trees planted and also for their maintenance for ensuring survival thereof." को दो महिने में प्रस्तुत करने के आदेश पारित किये गये हैं। मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा भी Guidelines के दिशा निर्देश पैरा 1.21 का उल्लंघन नहीं माना गया है (संलग्नक-14)।

जिलाधिकारी, अल्मोड़ा एवं उपजिलाधिकारी, सदर अल्मोड़ा के निर्देशानुसार एवं ग्रामीणों/जनप्रतिनिधियों के अनुरोध पर व राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-309 बी में अत्यधिक दुर्घटनाओं का स्थान में रखते हुए केवल नाप भूमि में आंशिक परिवर्तन कर संशोधित पुनरीक्षित संरक्षण प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। संरक्षण में आंशिक परिवर्तन जन भावनाओं एवं सड़क के महत्व को ध्यान में रखते हुए गैर वनभूमि में किया गया है। इसमें विभाग का कोई भी अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं

[Handwritten Signature]



तक लिंक
सं०-8वीं
जलवायु
करने
धेत
या

253

बिन्दु सं० 2- उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि समरेखन में परिवर्तन हेतु संशोधित प्रस्ताव संलग्न कर प्रेषित है (संलग्नक-15)।

बिन्दु सं० 3- उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि डेकेंदार को जारी विभिन्न अनुमतियों की प्रति संलग्न कर प्रेषित है (संलग्नक-16)।

अतः भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून से सादर अनुरोध है कि जिलाधिकारी, अल्मोड़ा एवं उपजिलाधिकारी, सदर अल्मोड़ा के निर्देशानुसार एवं ग्रामीणों/जनप्रतिनिधियों के अनुरोध पर व राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-309 वी में अत्यधिक दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए विषयक मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति पर रथगन आदेश को निरस्त करने की सस्तुति करते हुए मार्ग निर्माण की मंजूरी प्रदान करने की कृपा करें ताकि अतिशीघ्र सड़क का निर्माण किया जा सके एवं क्षेत्रीय जनता को सड़क मार्ग का लाभ पहुंचाया जा सके।

(इं० आशुतोष कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

प्रतिलिपि-भारत सरकार पर्यावरण वन, एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षक उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो०नि०वि०, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

Witnessed & Authenticated (in
Executed By)

26.2.24 Amore

K. K. Bhandari
Bhandari

Amore, Uttarakhand,
Reg. No. 15 (2) 2004



TRUE COPY

254

कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

G20

Email id: nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax: 0135 2767611

संख्या:- 2374 / FP/UK/ROAD/9220/2015 देहरादून दिनांक: 15 अप्रैल, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड, देहरादून।

विषय:- जनपद अल्मोड़ा में चितई पंत से हरिदत्त पेटशाली इण्टर कॉलेज मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.43875
है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
देहरादून की पत्र संख्या 8B/UCP/06/125/2015/FC/1449 दिनांक 25.01.2023

महोदय,

विषयवर्तित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित EDS दिनांक 25.01.2023 के सम्बन्ध में प्रभागीय
वनाधिकारी अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 4834/12-1 (2) दिनांक 28.03.2023 एवं अधिरात्री अभियन्ता, निर्माण
खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा 978/3री (कोर्ट केश) दिनांक 23.03.2023 द्वारा आख्या प्रेषित की गयी है जिसे
निम्नानुसार सतर्क कर अग्रोत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के
अनुसूचित विधिवत स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

सतर्क-यथोपरि।

गतादीय,

(एस०एस० रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या 3374 / FP/UK/ROAD/9220/2015 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-


1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा को उनके पत्रांक 4834/12-1 (2) दिनांक 28.03.2023 के क्रम में।
3. अधिरात्री अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।

Checked & Authenticated the
Executive Officer

On 26.2.24/Amora

Keshanand
Shandani

1, Almorah (Uttarakhand)
Ph. No. 151021 2004



(एस०एस० रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।